माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के समक्ष

श्रीमती. मधु गर्ग,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी

Crl. W.P. No. 1397 of 2003 6th April, 2004

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 -धारा 3 (1) - धारा 3 (1) के तहत निरोध आदेश पारित करने वाले प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करने के बाद हिरासत प्राधिकरण को तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के उद्देश्य से - हिरासत प्राधिकारी द्वारा दर्ज व्यक्तिपरक संतुष्टि - क्या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का विषय है। नहीं- सभी प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के संज्ञान में लाना - हिरासत का आदेश देते समय इन सभी तथ्यों और सामग्री पर विचार करते हुए हिरासत प्राधिकारी - केवल इसलिए कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी हिरासत आदेश में या हिरासत के आधार पर इन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करने में विफल रहता है, तो हिरासत आदेश का उपयोग न करने के आधार पर निरोध आदेश दूषित नहीं होता है - एक बार हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से रोकने के लिए आवश्यक है। भविष्य में माल की तस्करी, इस तरह की संतुष्टि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है - हिरासत आदेश पारित करने के उद्देश्य को दंडात्मक नहीं कहा जा सकता है - हिरासत के आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है - याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।

यह अभनिर्धारित किया गया की गया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना थी, पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि हिरासत के आधार पर इन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे, जब हिरासत में लिया गया व्यक्ति हिरासत में हो तो सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत निवारक निरोध का आदेश पारित करने पर कोई रोक नहीं है। जहां हिरासत का आदेश पारित करने के समय बंदी हिरासत में है, एकमात्र आवश्यकता यह है कि हिरासत के आदेश को यह इंगित करना चाहिए कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है। यदि हिरासत आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकारी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के तथ्य की जानकारी नहीं है या उसने हिरासत आदेश में यह संकेत नहीं दिया है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है, तो हिरासत के ऐसे आदेश का उल्लंघन किया जाएगा और उसे निरस्त किया जा सकता है।

(पैरा 29)

आगे यह भी अभनिर्धारित किया गया कि एक वैध आदेश पारित करने के लिए सभी सामग्री बहुत मौजूद थी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के बारे में हिरासत में लिए गए अधिकारी को जानकारी थी। उनके सामने रखी गई विश्वसनीय सामग्री के आधार पर उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के

पूर्व के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्ति और भविष्य में तस्करी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना के कारण उसके खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश पारित करना भी आवश्यक महसूस किया गया। हिरासत का आदेश हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करने के बाद पारित किया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।

(पैरा 30)

आगे यह भी अभनिर्धारित किया गया कि एक बार हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि भविष्य में माल की तस्करी को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत आवश्यक है, तो इस तरह की संतुष्टि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस मामले में, हिरासत के विस्तृत आधारों को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत आदेश पारित करने का उद्देश्य दंडात्मक था। हिरासत के आधार पर विस्तार से दिए गए तथ्यों के बजाय, यह स्पष्ट है कि बंदी को भविष्य में तस्करी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया है।

(पैरा 31)

आर.एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. चौधरी के साथ- याचिकाकर्ताओं के लिए वकील।

संदीप वरमानी, केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील, प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिए.

रविंदर कौर एन. इहालसिंहवाला, डीएजी, पंजाब, प्रतिवादी क्रमांक 2 के लिए.

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

1. यह निर्णय 2003 की 1397 और 1432 वाली आपराधिक रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसमें से एक बंदी विनोद कुमार गर्ग की पत्नी श्रीमती मधु गर्ग द्वारा दायर की गई थी और दूसरी प्रतिवादी नरसी दास गर्ग द्वारा दायर की गई थी।
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में उपर्युक्त रिट याचिकाएं भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा पारित दिनांक 20 अक्तूबर, 2003 और दिनांक 23 अक्तूबर, 2003 के निरोध आदेशों को निरस्त करने के लिए दायर की गई हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (इसके बाद कोफेपोसा अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1) के तहत नई दिल्ली ने क्रमशः विनोद कुमार गर्ग और उनके भाई नरसी दास गर्ग के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
3. तथ्यों को 2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1397 से लिया जा रहा है जिसका शीर्षक **मधु गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य** है।
4. हिरासत का दिनांक 20 अक्तूबर, 2003 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय, नई दिल्ली (इसके बाद इसे हिरासत प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत पारित किया गया है ताकि उपर्युक्त बंदी को भविष्य में माल की तस्करी करने से रोका जा सके। निरोध आदेश (अनुबंध पी-1) में यह इंगित किया गया है कि बंदी को हिरासत में लिया जाए और तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में हिरासत में रखा जाए। हिरासत के

आधार (अनुबंध पी-2) में यह उल्लेख किया गया है कि हिरासत में लिए गए विनोद कुमार गर्ग ने अपने भाई नरसी दास गर्ग के साथ मिलकर कई कंपनियां बनाई थीं (जिनकी सूची दी गई है), जिनका उपयोग "मिश्र धातु स्टील फोर्जिंग (मशीन) के रूप में घोषित वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क पात्रता पासबुक योजना (जिसे बाद में डीईपीबी योजना के रूप में संदर्भित किया गया है) क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने में किया जा रहा था। दिनांक 23 अगस्त, 2003 को विभिन्न व्यावसायिक स्थानों पर तलाशी ली गई और विनोद कुमार गर्ग द्वारा खातों के निपटान को दर्शाने वाले कुछ कम्प्यूटरों और टाइप किए गए खाता बही-खातों सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज/सामग्री बरामद की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि हिरासत में लिए गए विनोद कुमार गर्ग ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 (जिसे बाद में सीमा शुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत 24 अगस्त, 2003 और 25 अगस्त, 2003 के अपने बयानों में स्वीकार किया था कि यद्यपि उन्होंने अपने बड़े भाई नरसी दास गर्ग और उनके दो कर्मचारियों को कुछ फर्मों का मालिक बनाया था। फिर भी वह और उनके भाई नरसी दास गर्ग इन सभी फर्मों के वास्तविक नियंत्रक व्यक्ति थे। राजस्व आसूचना निदेशालय (जिसे बाद में डीआरआई कहा जाता है) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि विनोद कुमार गर्ग और उनके भाई नरसी दास गर्ग आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली, आईसीडी, प्रतापगंज, नई दिल्ली और एसीटीएल, बल्लभगढ़ के माध्यम से सस्ते, घटिया और जंक सामग्री का निर्यात करते थे। निर्यात किए गए माल की वास्तविक कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा में थी। जबकि उसी के लिए कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित की गई थी। क़रीब-क़रीब। इस प्रकार, दोनों भाइयों ने डीईपीबी योजना के तहत सरकार को 23.76 करोड़ रुपये का चूना लगाया। यह भी बताया गया है कि दोनों भाइयों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली चालान और पैकिंग सूचियों के दो सेट तैयार करना था। पहले सेट में, एक यूरोपीय / अमेरिकी फर्म का नाम, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के समक्ष दायर संबंधित शिपिंग बिल में उल्लेख किया गया है, को प्राप्तकर्ता के रूप में उल्लिखित किया गया था। इसके साथ ही, उसी खेप के लिए चालान और पैकिंग सूची का एक दूसरा सेट तैयार किया गया था, जिसमें दुबई/शारजाह की एक फर्म को प्राप्तकर्ता के रूप में दिखाया गया था और पहले सेट में उल्लेखित अमेरिकी/यूरोपीय फर्म को निर्यातक के रूप में दिखाया गया था। ये चालान और पैकिंग लिस्ट उनके मैनेजर मुदित कुमार तिवारी ने तैयार की थी, जिनके खिलाफ हिरासत का आदेश भी पारित किया गया था। प्रत्येक शिपमेंट के समय, पिछली खेप के लिए तैयार की गई चालान और पैकिंग सूची में संशोधन किया जा रहा था और इस प्रकार पिछले निर्यात से संबंधित सभी चालान/ पैकिंग सूचियों का रिकॉर्ड हटा दिया गया था। प्रबंधक मुदित कुमार तिवारी फर्जी तरीके से मूल प्रमाण पत्र तैयार करता था, जिसमें ऐसा लगता था कि उसे नॉर्दर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी किया है।

5. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट था कि दोनों बंदियों की गतिविधियां सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (39) के तहत परिभाषित और कोफेपोसा अधिनियम की धारा 2 (ई) में अपनाई गई 'तस्करी' के बराबर हैं। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने उनके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर यह राय बनाई कि उन्हें इस संतोष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं था कि उपरोक्त बंदियों में तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और क्षमता थी, और जब तक उन्हें रोका नहीं जाता है, वे भविष्य में ऐसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रखते हैं। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में

रखते हुए और जिस सुव्यवस्थित तरीके से हिरासत में लिए गए लोग इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त थे, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी संतुष्टि पर राय बनाई कि हिरासत में लिए गए लोगों के भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है, इसलिए, उन्हें भविष्य में माल की तस्करी में लिप्त होने से रोकने के लिए सीओएफईपीओएसए अधिनियम के तहत हिरासत में लेना आवश्यक हो गया।

6. इस मामले में तीन व्यक्तियों विनोद कुमार गर्ग, नरसी दास गर्ग और मुदित कुमार तिवारी, प्रबंधक के खिलाफ हिरासत के आदेश पारित किए गए थे, लेकिन जब उपरोक्त तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेने का मामला केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिसमें सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन माननीय वर्तमान न्यायाधीश शामिल थे। बोर्ड ने विनोद कुमार गर्ग और नरसी दास गर्ग की हिरासत को मंजूरी दे दी और मुदित कुमार तिवारी के हिरासत आदेश को मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद, केंद्र सरकार ने दोनों बंदियों के हिरासत आदेशों की पुष्टि की और हिरासत की अवधि को हिरासत में लेने की तारीख से एक वर्ष के रूप में तय किया।

7. याचिकाकर्ताओं ने हिरासत के आदेशों को अवैध, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:-

   a) विनोद कुमार गर्ग और उनके भाई नरसी दास गर्ग के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के तहत इस आधार पर निवारक हिरासत के आदेश पारित किए गए हैं कि भविष्य में माल की तस्करी से रोकने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक है। लेकिन बंदियों की कथित गतिविधियां तस्करी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए, अधिनियम की धारा 3 के तहत बंदी के खिलाफ कोई निरोध आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने डीईपीबी योजना और सीमा शुल्क अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि निर्यात सामान जो न तो निषिद्ध हैं और न ही कर योग्य हैं, और यहां तक कि अन्यथा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के साथ धारा 113 के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (39) के साथ कोफेपोसा अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित 'तस्करी' की परिभाषा के तहत नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि निर्यात डीईपीबी योजना के तहत किया गया था, इसलिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 113 के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए, तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के तहत आक्षेपित आदेशों को पारित करना इस तरह के आदेश पारित करने के लिए हिरासत प्राधिकरण की शक्ति के दायरे से पूरी तरह से बाहर है। ;

   b) हिरासत के आदेश हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा कार्डिनल सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी करके बहुत ही लापरवाह तरीके से पारित किए गए हैं कि इस तरह का आदेश दुर्लभतम परिस्थितियों में पारित किया जाना है। ;

   c) कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे पूरी तरह से हिरासत के आदेश पारित किए हैं। आक्षेपित हिरासत आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने प्रायोजक प्राधिकारी के आरोपों के

आधार पर बिना सोचे समझे हिरासत आदेश जारी कर के महज रबर स्टैंप का काम किया है। संबंधित सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य, जो इस मुद्दे को प्रभावित करते थे और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को प्रभावित करते थे, को प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा रोक दिया गया था और आक्षेपित हिरासत आदेश जारी करने से पहले हिरासत प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि को दूषित किया गया है।

8. नोटिस के चलते, प्रतिवादी संख्या 1- भारत संघ ने जवाब दायर किया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया है कि हिरासत आदेश सही तरीके से पारित किया गया था।
9. सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता हिरासत के आदेशों को चुनौती देने के लिए पहले आधार पर जोर नहीं देते कि **ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त दिल्ली**[1] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर हिरासत में लिए गए लोगों की कथित पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियां कोफेपोसा अधिनियम के तहत परिभाषित 'तस्करी' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। उक्त फैसले में, यह माना गया था कि निर्यात किए गए और निर्यात किए जाने वाले सामानों की ओवर-इनवॉयसिंग कुछ समय के लिए कोफेपोसा अधिनियम द्वारा या उसके तहत लगाए गए किसी भी निषेध के विपरीत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 113 (डी) के दायरे में आती है और इस प्रकार सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित 'तस्करी' की परिभाषा के तहत आती है।
10. हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि हिरासत के आक्षेपित आदेश पूरी तरह से बिना सोचे-समझे हिरासत प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए हैं, जो लागू आदेश को प्रकृति में दंडात्मक बनाता है और निवारक नहीं है। उन्होंने हिरासत का आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने के संबंध में विवेक का उपयोग नहीं करने का उल्लेख किया, इस आधार पर कि भविष्य में तस्करी गतिविधियों से बंदी को रोकने के लिए यह आवश्यक था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, हालांकि, यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष, प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सबसे प्रासंगिक सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखे गए थे और / या हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी सामग्री पर विचार नहीं किया है, जो उसके निर्णय को बदल सकता था। फिर इस तरह की कवायद करने के अभाव में, लागू आदेश रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी तथ्य या सामग्री जिसका निश्चित रूप से असर पड़ता है, हिरासत आदेश जारी करने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का कारण बन सकता था। ऐसी सामग्री या तथ्यों को उचित समय पर प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है, और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत के आदेश को पारित करने के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करने से पहले उन्हीं तथ्यों को देखने और पढ़ने की आवश्यकता होती है।
11. अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने **धर्मदास शामलाल अग्रवाल बनाम पुलिस आयुक्त और एक अन्य**[2] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि "हिरासत में लेने वाले अधिकारी की अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि, जिसका गठन हिरासत

---

[1] (2003) 6 S.C.C. 161

[2] AIR 1989 S.C. 1282

आदेश पारित करने के लिए एक शर्त है, अगर सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य जो इस मुद्दे पर असर डालते हैं और तौलते हैं। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को किसी न किसी तरह से रोका जाता है और उसके दिमाग को प्रभावित किया जाता है या तो प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा रोक दिया जाता है या दबा दिया जाता है या हिरासत का आदेश जारी करने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है और उस पर विचार नहीं किया जाता है। उस मामले में, जिस समय हिरासत प्राधिकारी ने हिरासत का आदेश पारित किया था, दो आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को बरी करने के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, जिन्हें हिरासत के आधार पर संलग्न तालिका में दिखाया गया था, को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था और हिरासत प्राधिकारी को यह समझने के लिए रोक दिया गया था कि उन दो मामलों का विचारण लंबित है। हिरासत में लेने के आदेश को रद्द करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को उनके दिमाग में नहीं लाया गया था और उनके द्वारा विचार नहीं किया गया था, जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि को खराब करेगा।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने **मेरुगु सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[3] (3) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश दिया गया था, जो पहले से ही जेल में बंद था, क्योंकि उक्त तथ्य को हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं लाया गया था। और उक्त ज्ञान की कमी के कारण, हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण इस तथ्य पर अपना दिमाग नहीं लगा सका कि क्या अभी भी बंदी की निवारक हिरासत आवश्यक थी जब वह पहले से ही जेल में बंद था। यह माना गया था कि यदि इस तरह के बहुत प्रासंगिक तथ्य की जागरूकता के बिना हिरासत प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचा जाता है, तो हिरासत आदेश दूषित होने की संभावना है। यह भी कहा गया कि इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जागरूकता को या तो हिरासत आदेश में या चुनौती दिए जाने पर हिरासत आदेश को सही ठहराने वाले हलफनामे में अपनी जगह मिलनी चाहिए। इस जागरूकता के अभाव में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को इस महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी भी नहीं थी और उसने यंत्रवत आदेश पारित किया जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के गंभीर परिणाम सामने आए।
13. वरिष्ठ अधिवक्ता ने **टी.डी. अब्दुल रहमान बनाम केरल राज्य और अन्य**[4] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि जब पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों और हिरासत आदेश पारित करने के बीच अनुचित और लंबी देरी होती है, तो अदालत को जांच करनी होगी कि क्या हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने इस तरह की देरी की संतोषजनक जांच की है और इस बात का तर्कसंगत और उचित स्पष्टीकरण दिया है कि इस तरह की देरी क्यों हुई। मौका मिल गया है। हिरासत के आदेश की तारीख और गिरफ्तारी हासिल करने की तारीख के बीच असंतोषजनक और अस्पष्ट देरी भी हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि की वास्तविकता पर संदेह पैदा करती है, जिससे एक वैध निष्कर्ष निकलता है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी वास्तव में और वास्तव में संतुष्ट नहीं था ताकि उसे पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करने से रोका जा सके।

---

[3] AIR 1982 S.C. 1543

[4] AIR 1990 S.C. 225

14. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने **वरिंदर सिंह बत्रा बनाम भारत संघ और अन्य**[5] मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट, जो उसके अनुरोध पर बंदी की चिकित्सा जांच के आधार पर बनाई गई थी, जब वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दिए गए अपने बयान से मुकर गया। कथित तौर पर जबरदस्ती के तहत प्राप्त किया गया था, हिरासत प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था। यह माना गया कि इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबसे प्रासंगिक दस्तावेज थी कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत कथित तौर पर दिया गया बयान स्वेच्छा से दिया गया था या बलपूर्वक, जबरदस्ती और पिटाई के परिणामस्वरूप दिया गया था। इसलिए, यह माना गया कि इस मेडिकल रिपोर्ट को दबाने और इसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं करने से हिरासत प्राधिकरण के निर्णय का उल्लंघन हुआ है, और यह हिरासत आदेश पारित करते समय दिमाग का उपयोग न करने के समान है।
15. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उस सामग्री को इंगित किया जो प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नहीं रखी गई थी या हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाई गई थी, और हिरासत आदेश जारी करते समय हिरासत प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया था।
16. याचिकाकर्ता के पति अर्थात् विनोद कुमार गर्ग को 23 अगस्त, 2003 को दिल्ली से डीआरआई के अधिकारियों द्वारा अवैध हिरासत में लिया गया था। चूंकि उनके पति के ठिकाने का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक व्यापक टेलीग्राम भेजा, जिसकी प्रति इस याचिका के साथ अनुलग्नक पी -8 के रूप में संलग्न की गई है। लेकिन डी.आर.आई. स्टाफ ने 25 अगस्त, 2003 को बंदियों की गिरफ्तारी दिखाई थी। हिरासत का आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकरण द्वारा टेलीग्राम की तारीख, समय और सामग्री पर विचार नहीं किया गया था। तत्पश्चात् बंदियों को उसी तारीख अर्थात् 25 अगस्त, 2003 को मध्यरात्रि 12:15 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस समय, बंदी को किसी भी वकील की सहायता प्रदान नहीं की गई थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष, बंदी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने बयान से पलट गया और यह भी आरोप लगाया कि बयान यातना और जबरदस्ती के तहत दिया गया था। इन तथ्यों को पूरी तरह से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसी तरह हिरासत के आधार के पैरा 38 में, रात में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पेश करने के तथ्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन न तो तारीख, समय और आदेश की सामग्री और न ही इस तथ्य पर कि बंदी को एक वकील की सहायता प्रदान नहीं की गई थी, हिरासत प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था। हिरासत प्राधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर विचार न करना हिरासत के आदेश का उल्लंघन करता है।
17. तीसरी परिस्थिति और भौतिक तथ्य जिस पर विचार भी नहीं किया गया था, वह यह था कि जब हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तो हिरासत में लिए गए विनोद कुमार गर्ग की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। इससे पहले 20 सितंबर, 2003 को सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर बंदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें राज्य को 20 अक्तूबर, 2003 के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त तारीख को मामले को 21 अक्तूबर, 2003 के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष के वकील यह

---

[5] 1993 (3) Crimes 637

बताने में असमर्थ थे कि विभाग न्यायालय में शिकायत दर्ज करने जा रहा है या नहीं क्योंकि बंदी ने पहले ही 57 दिन पूरे कर लिए हैं। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि हिरासत के आधार के पैराग्राफ 38 में हिरासत प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि जमानत से संबंधित मामला 22 सितंबर, 2003 के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, लेकिन यह तथ्य कि मामले को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया था, हिरासत प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था। सुनवाई की अगली तारीख के बारे में जाने बिना भी, हिरासत के आधार पर यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के पति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और यदि जमानत दी जाती है, तो बंदी भविष्य में फिर से पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। जब 20 अक्तूबर, 2003 को हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तब हिरासत में लिए गए विनोद कुमार गर्ग जेल में थे।

18. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने कहा कि जब हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 अक्टूबर, 2003 के आदेश की सामग्री के बारे में और मामले की अगली तारीख के बारे में भी जानकारी नहीं थी, तो हिरासत में लेने वाला अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की पूरी संभावना है। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि मन का प्रयोग नहीं किया गया था।
19. चौथा, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत के आक्षेपित आदेश को पारित करने में लंबी और अस्पष्ट देरी हुई है क्योंकि सामान्य कानून या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण के पास कोई सामग्री नहीं है। इस मामले में तलाशी, खोज और गिरफ्तारी 25 अगस्त, 2003 को पूरी हो गई थी। 25 अगस्त, 2003 को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत बंदियों के बयान दर्ज किए गए थे। हिरासत के आधार के पैरा 37 में दी गई जानकारी के अनुसार विदेशों में जांच 26 अगस्त, 2003 को पूरी कर ली गई थी लेकिन हिरासत आदेश 20 अक्तूबर, 2003 को पारित किया गया था। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में हिरासत आदेश एक दंडात्मक उपाय के रूप में पारित किया गया था, न कि निवारक उपाय के रूप में। उन्होंने कहा कि जब प्रायोजक प्राधिकरण के पास सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अनियमितताओं के लिए बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, तो आक्षेपित निरोध आदेश पारित किया गया था, इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा एक भौतिक तथ्य पर विचार नहीं करने का प्रमुख कारण यह है कि डी.आर.आई. विभाग ने पहले से ही डिक्री के फर्जी दावे और डी.ई.पी.बी. क्रेडिट के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिनांक 3 अक्तूबर, 2002 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-12 के रूप में इस याचिका के साथ संलग्न की गई है। उक्त नोटिस के जवाब में, बंदी द्वारा एक जवाब दायर किया गया था। उन कार्यवाहियों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा इन तथ्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था, जो दर्शाता है की विवेकाधिकर का प्रयोग नहीं किया गया।
20. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि हिरासत का आदेश केवल याचिकाकर्ता के पति को पहले के निर्यात से संबंधित न्यायिक कार्यवाही से वंचित करने के लिए पारित किया गया है, जो अग्रिम चरण में थे। यह भी आरोप लगाया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश केवल

कानून की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से पारित किया गया था क्योंकि मामला अदालत के समक्ष लंबित था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पासपोर्ट पहले से ही हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा कब्जे में ले लिया गया था क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के समय, पासपोर्ट को बंदी द्वारा स्वेच्छा से डीआरआई को सौंप दिया गया था। दूसरी बात यह है कि जिन फर्मों पर ओवर-इनवॉइस करने का आरोप लगाया गया है, उनमें से अधिकांश ने पहले ही अपने आयातक-निर्यातक कोड को सरेंडर कर दिया था, जिससे वे किसी भी आयात या निर्यात गतिविधि में शामिल होने में असमर्थ हो गए थे।

21. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित फर्में आयातक-निर्यातक कोड में लिप्त होने में अक्षम थीं, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ हिरासत आदेश के माध्यम से कोई निवारक उपाय शुरू करने का कोई कारण नहीं था। ये तथ्य आगे स्थापित करते हैं कि आक्षेपित हिरासत आदेश को हिरासत प्राधिकरण द्वारा निवारक उपाय के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह से दंडात्मक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण अपने सही परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रहा है और हिरासत का आक्षेपित आदेश दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है क्योंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा प्राप्त संतुष्टि दिखावटी और अवास्तविक है। इस तरह की संतुष्टि के आधार पर लागू आदेश तदनुसार रद्द किया जा सकता है।

22. दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी पेशिंग, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन के लंबित होने आदि के बारे में सभी सामग्री और महत्वपूर्ण तथ्यों को हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया था। और उसी पर इसके द्वारा विधिवत विचार किया गया था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जारी किए गए हिरासत के आधार में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि महत्वपूर्ण और आवश्यक तथ्यों को हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाना चाहिए। इसके बाद, न्यायालय को यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने उन तथ्यों पर ठीक से विचार किया है या नहीं। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अदालत इस बात पर नहीं जा सकती है या तय नहीं कर सकती है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि उचित थी या नहीं। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने **साफिया बनाम केरल सरकार और अन्य**[6] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है, विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि जब हिरासत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो अदालत को मामले पर फैसला करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि वह हिरासत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर अपील में बैठा था। **भारत संघ बनाम अरविंद शेरगिल**[7] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि निवारक हिरासत के माध्यम से कार्रवाई काफी हद तक संदेह पर आधारित है और अदालत इस सवाल की जांच करने के लिए एक उपयुक्त मंच नहीं है कि क्या संदेह की परिस्थितियां मौजूद हैं जो किसी व्यक्ति पर संयम की आवश्यकता है। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि

---

[6] 2003 (3) R.C.R. 835

[7] 2000 (4) R.C.R. (Criminal) 251

हिरासत आदेश देने की जिम्मेदारी हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर है, जिसे अकेले उस संबंध में कर्तव्य सौंपा गया है और यह जिम्मेदारी से गंभीर अपमान होगा यदि अदालत उन सामग्रियों की पर्याप्तता के संबंध में की गई जांच पर उस प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अपने निर्णयों को प्रतिस्थापित करती है जिस पर ऐसी संतुष्टि आधारित थी। न्यायालय केवल सरकार द्वारा प्रकट किए गए आधारों की जांच कर सकता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जिसे कानून ने देखा है, अर्थात, बंदी को तस्करी गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए। उक्त संतुष्टि प्रकृति में व्यक्तिपरक है और इस तरह की संतुष्टि, यदि प्रासंगिक आधारों पर आधारित है, तो इसे अमान्य नहीं कहा जा सकता है।

23. प्रतिवादी नंबर 1 के वकील ने यह भी तर्क दिया कि केवल पासपोर्ट जब्त करना हिरासत आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। **सित्थी जुरैना बेगम बनाम भारत संघ**[8] और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह देखना हिरासत प्राधिकारी का कार्य है कि क्या अकेले अवसर पर बंदी आगे की तस्करी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। केवल इसलिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जारी किया गया पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था या आत्मसमर्पण कर दिया गया था, हिरासत आदेश को अमान्य नहीं बनाता है यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि की उचित रिकॉर्डिंग के बाद इसका आदेश दिया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति हिरासत में है, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 3 (एल) (आई) के तहत निवारक हिरासत का आदेश पारित करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की जानकारी है कि वह वास्तव में हिरासत में है और फिर भी उसके समक्ष रखी गई विश्वसनीय सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण था कि जमानत पर उसकी रिहाई की वास्तविक संभावना है, और यह कि रिहा होने पर, वह पूरी संभावना में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होगा। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अनुभव किया जाता है, तो हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से मान्य होगा। अपनी दलील के समर्थन में, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने **भारत संघ बनाम पॉल मणिकम और अन्य**[9] पर भरोसा किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को बहुत जानकारी थी कि बंदी हिरासत में था और उसने अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि बनाई थी कि उसकी रिहाई आसन्न थी, इसलिए, उसे पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए निवारक हिरासत का आदेश पारित करना आवश्यक था। उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी और जमानत याचिका के लंबित होने के बारे में सभी तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के संज्ञान में थे। इसलिए, हिरासत आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

24. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और इस मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

25. इस मामले में, हिरासत का आदेश सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत पारित किया गया है ताकि बंदी को भविष्य में माल की तस्करी में लिप्त होने से रोका जा सके। उक्त आदेश को डिटेनिंग अथॉरिटी द्वारा प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा उनके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करने के बाद पारित किया गया था, जिसका हिरासत के आधार में विस्तार से

---

[8] 2003 (1) R.C.R. 101

[9] 2003 (4) R.C.R. 927

उल्लेख किया गया है। उक्त सामग्री के आधार पर, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति में तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और क्षमता थी, और जब तक उसे रोका नहीं जाता है, वह भविष्य में इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने की संभावना होगी। तस्करी गतिविधियों की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जिस सुव्यवस्थित तरीके से बंदी इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त था, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की और अधिक संभावना, जिसका विवरण हिरासत के आधार में दिया गया है, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत का आदेश पारित करने से पहले अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि तैयार की। हिरासत प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है। अदालत को यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि उचित है या नहीं। **भारत संघ बनाम अरविंद शेरगिल** (सुप्रा) मामले में, शीर्ष अदालत द्वारा यह माना गया था कि सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 3 की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि हिरासत आदेश बनाने की जिम्मेदारी हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर है, जिसे अकेले उस संबंध में कर्तव्य सौंपा गया है और यह जिम्मेदारी से एक गंभीर अपमान होगा यदि अदालत किसी जांच पर उस प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए अपने फैसले को प्रतिस्थापित करती है। उन सामग्रियों की पर्याप्तता के संबंध में जिन पर इस तरह की संतुष्टि आधारित थी। न्यायालय केवल हिरासत प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए आधारों की जांच कर सकता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जो कानून में है, अर्थात, बंदी को तस्करी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए। उक्त संतुष्टि प्रकृति में व्यक्तिपरक है और इस तरह की संतुष्टि, यदि प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है, तो अमान्य नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफिया बनाम केरल सरकार के मामले (सुप्रा) में कहा है कि न्यायालय को यह निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि उचित है या नहीं। यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत आदेश जारी करने से पहले रिकॉर्ड से उत्पन्न सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया है और सीओएफईपीओएसए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के बाद, तो अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए। न्यायालय को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग आर्थिक अपराध करते हैं वे राष्ट्रीय हित और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। निवारक हिरासत के आदेश को रद्द करने के लिए न्यायालय के पास बहुत सीमित गुंजाइश है।

26. इस मामले में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने हिरासत के आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित अवैध गतिविधियां सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (39) में परिभाषित तस्करी का गठन नहीं करती हैं, जैसा कि सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 2 (ई) में अपनाया गया है। न ही उन्होंने इसे इस आधार पर चुनौती दी है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि बिना किसी सामग्री के थी या सामग्री, जिसे ध्यान में रखा गया था, अपर्याप्त थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने हिरासत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि इसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से बिना सोचे-समझे पारित किया गया था, जो इसे दूषित करता है। उनका तर्क यह है कि यद्यपि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, हालांकि, यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष, प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सबसे अधिक सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया था, और/या

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी सामग्री पर विचार नहीं किया है जो उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती थी। फिर इस तरह की कवायद करने के अभाव में, लागू आदेश रद्द किया जा सकता है। दूसरे, उन्होंने हिरासत के आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह प्रकृति में दंडात्मक है और निवारक नहीं है, और इसे जल्दबाजी में और बंदी को उसकी अवैध गतिविधियों के लिए सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

27. इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कई तथ्यों और परिस्थितियों और उन सामग्रियों का उल्लेख किया है जिन्हें प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नहीं रखा गया था या हिरासत प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था, और जिन्हें हिरासत आदेश जारी करते समय हिरासत प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया था। मैंने उन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया है, और हिरासत आदेश और इस याचिका के साथ संलग्न हिरासत के आधार के आलोक में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इंगित सामग्री पर विचार किया है।

28. हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पत्नी द्वारा 23 अगस्त, 2003 को दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश सहित विभिन्न प्राधिकारियों को एक टेलीग्राम भेजा गया था, जिसकी प्रति इस याचिका के साथ अनुलग्नक पी-8 के रूप में संलग्न की गई है। इस टेलीग्राम को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया था और उसके द्वारा इस पर विचार किया गया था, जैसा कि हिरासत के आधार के पैरा 39 में उल्लेख किया गया है, जबकि इसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया। केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत के आधार में टेलीग्राम की तारीख, समय और सामग्री का उल्लेख नहीं किया है, यह नहीं लिया जा सकता है कि हिरासत का आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकारी द्वारा उक्त टेलीग्राम पर विचार नहीं किया गया था या ध्यान में नहीं रखा गया था। इसके अलावा, यह तथ्य कि बंदी को 25 अगस्त, 2003 को गिरफ्तार किया गया था और यह तथ्य कि उसे उसी तारीख को मध्यरात्रि में 12.15 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और यह तथ्य कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बंदी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दिए गए अपने बयान से मुकर गया, भी हिरासत प्राधिकारी के ध्यान में था। जैसा कि हिरासत के आधार के पैरा 38 और 44 से स्पष्ट है। केवल इसलिए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय बंदी को एक वकील द्वारा सहायता नहीं दी गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की यह दलील कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत के आधार पर न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की सामग्री का उल्लेख किया है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की सटीक तारीख और समय का उल्लेख किया है, इसलिए, यह हिरासत आदेश का उल्लंघन करता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि निवारक हिरासत के आदेश को पारित करने के संबंध में हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के गठन पर कोई प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक तथ्य या सामग्री को हिरासत प्राधिकरण के पास लाया जाना चाहिए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत आदेश में या हिरासत के आधार पर उन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता है। इसलिए, केवल इसलिए कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत आदेश में या हिरासत के आधार पर इन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया है, इससे हिरासत आदेश को विवेक का उपयोग न करने के आधार पर दूषित नहीं किया जा सकता है।

29. इसी तरह, अगली परिस्थितियों और जिस मापदंड को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया है, वह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी की जमानत याचिका का लंबित होना है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की दलील यह है कि यद्यपि हिरासत प्राधिकारी के संज्ञान में यह था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन यह तथ्य कि उक्त जमानत आवेदन 21 अक्टूबर, 2003 को उक्त न्यायालय में निर्धारित किया गया था, हिरासत प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया था। यदि यह स्थिति थी, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने यह राय कैसे तैयार की है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि जब बंदी पहले से ही हिरासत में है, तो भविष्य में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। अत, हिरासत प्राधिकारी द्वारा 20 सितम्बर, 2003 को आदेश पारित करना पूरी तरह से बिना सोचे-समझे किया गया था। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की यह दलील आधारहीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 22 सितम्बर, 2003 को बंदी द्वारा दायर जमानत आवेदन के लंबित होने के संबंध में तथ्य हिरासत प्राधिकारी के ध्यान में था। उक्त जमानत आवेदन में 25 सितम्बर, 2003 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अक्तूबर, 2003 के लिए नोटिस जारी किया और उस तारीख को राज्य के विद्वान वकील के अनुरोध पर मामले को 21 अक्तूबर, 2003 के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि न्यायालय को सूचित किया जा सके कि क्या राज्य द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज किए जाने की संभावना है या नहीं क्योंकि बंदी पिछले 57 दिनों से हिरासत में था। यद्यपि जमानत आवेदन की सुनवाई की तारीख और दिनांक 20 अक्तूबर, 2003 के आदेश की विषय-वस्तु का उल्लेख हिरासत के आधार के पैरा 43 में नहीं किया गया है, फिर भी यह नहीं माना जा सकता है कि वे तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की जानकारी में नहीं थे। हिरासत के आधार की सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इन सभी तथ्यों से बहुत अवगत था, और इसीलिए उसने देखा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब राज्य चालान दायर करने की स्थिति में नहीं था और उस स्थिति में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना था। इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना थी, पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि हिरासत के आधार पर इन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे, जब हिरासत में लिया गया व्यक्ति हिरासत में हो तो सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत निवारक निरोध का आदेश पारित करने पर कोई रोक नहीं है। जहां हिरासत का आदेश पारित करने के समय बंदी हिरासत में है, एकमात्र आवश्यकता यह है कि हिरासत के आदेश को यह इंगित करना चाहिए कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है। यदि हिरासत का आदेश पारित करते समय हिरासत प्राधिकारी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के तथ्य की जानकारी नहीं है या उसने हिरासत आदेश में यह संकेत नहीं दिया है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है, तो हिरासत के ऐसे आदेश का उल्लंघन किया जाएगा और उसे निरस्त किया जा सकता है, जैसा कि **धर्मेंद्र सुगनचंद बनाम भारत संघ**[10] मामले में कहा गया है। (10) यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को बंदी की अभिरक्षा के बारे में पता है और निरोध आदेश या निरोध के आधार में यह भी इंगित किया गया है कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है,

---

[10] AIR 1990 S.C. 1196

तो हिरासत का ऐसा आदेश पूरी तरह से मान्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम पॉल मणिकम** के मामले (सुप्रा) में कहा है कि कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत पारित व्यक्ति की निवारक हिरासत का आदेश, जो पहले से ही हिरासत में है, वैध है।—

(a) यदि आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की जानकारी है कि वह वास्तव में हिरासत में है;

(b) यदि उसके पास उसके समक्ष रखी गई विश्वसनीय सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि जमानत पर उसकी रिहाई की वास्तविक संभावना है, और यह कि रिहा होने पर, वह पूरी संभावना में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होगा।;

(c) यदि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक महसूस होता है; और

(d) यदि उस संबंध में संतुष्टि दर्ज करने के बाद कोई आदेश पारित किया जाता है, तो आदेश मान्य होगा।

30. तत्काल मामले में, एक वैध आदेश पारित करने के लिए उपरोक्त सभी तत्व बहुत मौजूद थे। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के बारे में हिरासत में लिए गए अधिकारी को जानकारी थी। उनके सामने रखी गई विश्वसनीय सामग्री के आधार पर उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश पारित करना भी आवश्यक समझा गया क्योंकि उसके अतीत के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्ति और तस्करी गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता है। भविष्य। हिरासत का आदेश हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करने के बाद पारित किया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।

31. दूसरा आधार जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हिरासत आदेश को इस आशय से चुनौती दी कि उक्त आदेश प्रकृति में दंडात्मक था और निवारक नहीं था। इस संबंध में, उन्होंने हिरासत के आधार पर कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की तलाशी, खोज और गिरफ्तारी का काम 25 अगस्त, 2003 को पूरा हो गया था; 24/25 अगस्त, 2003 को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत बंदी का बयान भी दर्ज किया गया था; विदेशों में जांच 26 अगस्त, 2003 को पूरी कर ली गई थी, लेकिन हिरासत का आदेश 20 अक्तूबर, 2003 को पारित किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर, एक विवाद उठाया गया है कि हिरासत आदेश पारित करने में लंबी देरी हुई थी, इसलिए, हिरासत आदेश एक निवारक उपाय के रूप में नहीं बल्कि एक दंडात्मक उपाय के रूप में पारित किया गया प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिरासत के आधार के पैराग्राफ 42 में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने विशेष रूप से मामले में निकटता के कोण पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जो उनके सामने रखी गई सामग्री और घटनाओं के कालानुक्रमिक अनुक्रम से स्पष्ट हो गया, हिरासत में लेने वाला अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट था कि घटना की तारीख और हिरासत आदेश पारित करने के बीच समय के अंतर ने भविष्य में इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने के लिए बंदी की उच्च प्रवृत्ति और क्षमता को कम नहीं किया है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को

घटना और हिरासत आदेश पारित करने के बीच अंतर के तथ्य के बारे में पूरी तरह से पता था, और प्रासंगिक सामग्री और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उन्होंने हिरासत का आदेश पारित करने से पहले अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि तैयार की। यह सच है कि निवारक निरोध एक अग्रिम उपाय है और किसी अपराध से संबंधित नहीं है, जबकि आपराधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने के लिए है। निवारक निरोध के कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं है, बल्कि केवल निवारक है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उपलब्ध सामग्रियों पर आश्वस्त हो जाता है और उसके समक्ष रखा जाता है कि इस तरह की हिरासत आवश्यक है ताकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानून द्वारा निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण मामले में कार्य करने से रोका जा सके। ऐसे मामले को आवश्यक रूप से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, आचरण के वस्तुनिष्ठ नियम निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, जिनके अनुरूप होने में विफलता अकेले हिरासत का कारण होनी चाहिए। एक बार जब हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि भविष्य में माल की तस्करी को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत आवश्यक है, तो इस तरह की संतुष्टि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस मामले में, हिरासत के विस्तृत आधारों को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत आदेश पारित करने का उद्देश्य दंडात्मक था। हिरासत के आधार पर विस्तार से दिए गए तथ्यों के बजाय, यह स्पष्ट है कि बंदी को भविष्य में तस्करी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया है।

32. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं करने के संबंध में, अर्थात, डीआरआई विभाग ने पहले से ही बंदी की फर्मों द्वारा गलत घोषित माल के निर्यात के माध्यम से ड्रॉबैक और डीईपीबी क्रेडिट के फर्जी दावे के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी है। उन कार्यवाहियों में, बंदी का जवाब दायर किया गया था और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। लेकिन हिरासत के विवादित आदेश को पारित करते समय, हिरासत प्राधिकरण ने उन कारकों को ध्यान में नहीं रखा। अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने **कुर्जीभाई धनजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[11] में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, (11) उस मामले में, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जारी कारण बताओ नोटिस और उस पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जवाब को हिरासत आदेश जारी करने से पहले हिरासत प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखा गया था। उस स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कारण बताओ नोटिस और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जवाब को प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उचित समय पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखा गया था, इसलिए हिरासत के आदेश को अमान्य ठहराया गया था। लेकिन वर्तमान मामले में स्थिति समान नहीं है। यहां यह स्वीकार नहीं किया गया है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे किसी दस्तावेज की जानकारी नहीं थी। हिरासत के आधार के पैरा 45 में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित होने की जानकारी थी, जो प्रकृति में दंडात्मक थे। लेकिन इस तरह की प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने के लिए बंदी की उच्च प्रवृत्ति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, हिरासत प्राधिकरण भविष्य में वस्तुओं की तस्करी करने से रोकने के उद्देश्य से सीओएफईपीओएसए अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट था।

---

[11] 1985 (1) SCALE 136

33. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने यह भी मुद्दा उठाया कि चूंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पासपोर्ट उसकी गिरफ्तारी के समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पहले ही कब्जे में ले लिया गया था और दूसरी बात यह है कि जिन फर्मों पर ओवर-इनवॉइस करने का आरोप लगाया गया है, उनमें से अधिकांश ने पहले ही अपने आयातक-निर्यातक कोड को सरेंडर कर दिया था, इसलिए, भविष्य में माल की तस्करी में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है।

34. मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की उपरोक्त दलील में भी कोई बल नहीं मिलता है। केवल इसलिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की फर्मों ने आयात-निर्यातक कोड सरेंडर कर दिया था, यह नहीं माना जा सकता है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी भविष्य में तस्करी की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं बना सका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सित्थी जुरैना बेगम बनाम भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) मामले में कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करना हिरासत के आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। हिरासत में लेने वाले अधिकारी को इस तथ्य की जानकारी थी कि बंदी का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया गया था। इसके बावजूद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने बंदी के पिछले आचरण और उसकी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निवारक हिरासत का आदेश पारित किया।

35. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे हिरासत में लिए गए विनोद कुमार गर्ग की हिरासत के आदेश में कोई अवैधता या खामी नहीं मिलती है।

Crl.W.No, 1432 of 2003

36. याचिकाकर्ता नरसी दास गर्ग के विरुद्ध 23 अक्तूबर, 2003 को निरोधात्मक प्राधिकारी द्वारा सीओएफईपीओएसए अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक निरोध का आदेश पारित किया गया था ताकि उक्त बंदी को भविष्य में माल की तस्करी करने से रोका जा सके। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का आधार लगभग उसके भाई विनोद कुमार गर्ग से मिलता-जुलता है. सामग्री, तथ्य और परिस्थितियां और पूर्वाग्रहपूर्ण या तस्करी गतिविधियों के आरोप, जिनके आधार पर दोनों भाइयों के खिलाफ निवारक हिरासत के आदेश पारित किए गए हैं, लगभग समान हैं। इस मामले में अंतर केवल इतना है कि याचिकाकर्ता नरसी दास गर्ग की हिरासत का आदेश 3 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर, 2003 को पारित किया गया था।

37. उसे 25 अगस्त, 2003 को शाम 600 बजे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के अंतर्गत लुधियाना स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल के बाद उसे इलका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समय-समय पर 26 अगस्त, 2003, 8 सितम्बर, 2003, 7 अक्तूबर, 2003 और 31 अक्तूबर, 2003 को उनकी न्यायिक हिरासत 3 नवम्बर, 2003 तक बढ़ाई गई। न्यायिक रिमांड की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने 26 अगस्त, 2003 को लुधियाना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2003 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 8 सितंबर, 2003 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना के समक्ष एक और जमानत याचिका दायर की। उक्त आवेदन को भी 27 सितम्बर, 2003 को अस्वीकृत कर दिया गया था। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा 15 अक्तूबर, 2003 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की गई जिसे 23 अक्तूबर, 2003 को हिरासत के आक्षेपित आदेश के पारित होने के बाद 29 अक्तूबर, 2003 को स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रकार, जब हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तो याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में था और उसकी जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना के समक्ष लंबित थी।

38. इस याचिका में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने हिरासत के आदेश को चुनौती देने के लिए दो अतिरिक्त आधार उठाए हैं। सबसे पहले, याचिकाकर्ता नरसी दास गर्ग की हिरासत का आधार विनोद कुमार गर्ग के मामले में भरोसा किए गए हिरासत के आधार की शब्दश: प्रति है। यह डिटेंशन अथॉरिटी द्वारा पूरी तरह से गैर-दिमाग को दर्शाता है क्योंकि उसने याचिकाकर्ता से संबंधित सामग्री, तथ्यों और परिस्थितियों और कथित पूर्वाग्रहपूर्ण या तस्करी गतिविधियों पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया। इसलिए, हिरासत का आदेश रद्द किया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने **जय सिंह और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य**[12], (12) और **सरजीवन धीर बनाम पंजाब राज्य**[13] (13) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

39. दूसरा, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि जब 23 अक्टूबर, 2003 को हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तो याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में था और उसकी जमानत याचिका 1 सितंबर, 2003 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा और 19 सितंबर, 2003 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए, 23 अक्टूबर को हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष कोई सामग्री नहीं थी। 2003 यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना थी और उसे भविष्य में तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए उसकी हिरासत आवश्यक थी। केवल यह तथ्य कि उन्हें बाद में 29 अक्तूबर, 2003 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, का कोई महत्व नहीं है। अपनी दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने **राजेश गुलाटी बनाम एनसीटी सरकार और अन्य**[14], (14) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया।

40. मैंने उपरोक्त दो अतिरिक्त आधारों पर दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। मुझे याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दोनों अतिरिक्त प्रस्तुतियों में कोई दम नहीं मिला। यह सच है कि दोनों बंदियों के खिलाफ हिरासत के आधार समान हैं। दोनों बंदियों के खिलाफ हिरासत के आदेश इस मामले में समान सामग्री, तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वाग्रहपूर्ण या तस्करी गतिविधियों के आरोपों के आधार पर जारी किए गए हैं। चूंकि मामला समान है, तो बुनियादी तथ्य और भरोसेमंद दस्तावेज भी दोनों मामलों में समान हैं, इसलिए, यह स्वाभाविक है कि हिरासत के आधार भी प्रकृति में लगभग समान हैं। केवल इस आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता नरसी दास गर्ग के मामले में, हिरासत का आदेश हिरासत प्राधिकरण द्वारा यांत्रिक तरीके से पूरी तरह से बिना सोचे-समझे पारित किया गया था। सामग्री और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जैसा कि हिरासत के आधार पर विस्तार से चर्चा की गई है, हिरासत प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता को भविष्य में तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए हिरासत में लेना आवश्यक था। जय सिंह के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर है। उस मामले में, हिरासत का आधार प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत डोजियर का शब्दश: पुनरुत्पादन था, जिसमें हिरासत में लिए गए जय

---

[12] AIR 1985 S.C. 764

[13] 1995 (1) RCR (Criminal) 131

[14] JT 2002 (6) S.C. 331 = 2002 (4) RCR (Criminal) 89

सिंह के खिलाफ हिरासत आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था। जब हिरासत का आदेश पारित किया गया और हिरासत का आधार जारी किया गया, तो "वह" शब्द में एकमात्र बदलाव किया गया था जो डोजियर में जय सिंह को "आप" के रूप में संदर्भित कर रहा था। उस तथ्यात्मक स्थिति में, हिरासत के आदेश को विवेक का प्रयोग न करने के कारण खराब माना गया था। यहां यह तथ्य नहीं है। यहां हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपने दिमाग का प्रयोग करने और सभी प्रासंगिक सामग्री, तथ्यों और परिस्थितियों और बंदी की पिछली गतिविधियों पर विचार करने के बाद, अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि तैयार करने के बाद निरोध आदेश पारित किया है।

41. नरसी दास गर्ग के मामले में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दूसरी अतिरिक्त दलील में भी कोई दम नहीं है। यद्यपि यह सही है कि जब 23 अक्तूबर, 2003 को हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तब याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में था। यह भी सही है कि आक्षेपित आदेश पारित करने की तारीख से पहले, याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिन यह भी सही है कि जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, तो याचिकाकर्ता की तीसरी जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना के समक्ष लंबित थी, जिसे लागू आदेश पारित करने के बाद 29 अक्टूबर, 2003 को अनुमति दे दी गई थी। जब हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तो हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण दो तथ्यों से बहुत अवगत था, पहला यह कि याचिकाकर्ता न्यायिक रिमांड पर था जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा था जैसा कि हिरासत के आधार के पैराग्राफ 38 में उल्लेख किया गया है। डीआरआई विभाग के फैसले का इंतजार करने के लिए मामले को समय-समय पर स्थगित किया जा रहा था, जब वे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहे थे। यदि उक्त शिकायत 60 दिनों की अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, तो याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत पर रिहा किया जाना था। चूंकि याचिकाकर्ता के मामले में 60 दिन का समय 25 अक्तूबर, 2003 को समाप्त होने वाला था और उसकी जमानत अर्जी भी लंबित थी और इसके लिए 29 अक्तूबर, 2003 की तारीख तय की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हिरासत प्राधिकरण ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने के तथ्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी तीसरी जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित थी, स्पष्ट रूप से राय दी है कि याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह आवश्यक माना गया और किए गए अपराध की गंभीरता और भविष्य में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि, प्रवृत्ति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, निवारक हिरासत का आदेश पारित किया गया। मुझे इसमें कोई अवैधता नजर नहीं आती। राजेश गुलाटी के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उद्धृत निर्णय पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर है। उस मामले में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पांच बार जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जब वह न्यायिक हिरासत में था। हालांकि, हिरासत का आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि आरोपी/हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है। इस मामले में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना थी जब उसकी जमानत

याचिका पांच बार खारिज कर दी गई थी। उन परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया, हालांकि उस मामले में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत आदेश पारित होने के अगले ही दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत था कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति न्यायिक हिरासत में था जब हिरासत का आदेश पारित किया गया था और उसने हिरासत के आधार में उल्लेख किया था कि ऐसे मामलों में जमानत सामान्य रूप से दी जाती है, इसलिए, इस बात की संभावना है कि आरोपी /बंदी जमानत पर बाहर आ जाएगा। उन परिस्थितियों में, यह माना गया था कि जब हिरासत में किसी व्यक्ति से संबंधित हिरासत का आदेश पारित किया गया था, तो अदालत द्वारा जमानत पर रिहाई के सामान्य नियम का पालन नहीं किया गया था और हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा इस बात से संतुष्ट होने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मामला पूरी तरह से अलग है। इधर, याचिकाकर्ता की तीसरी जमानत याचिका हिरासत आदेश पारित होने के समय लंबित थी। वह न्यायिक हिरासत पर था जिसे विभाग द्वारा दायर शिकायत के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए समय-समय पर बढ़ाया जा रहा था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत निर्धारित 60 दिन का समय 25 अक्तूबर, 2003 को समाप्त होने जा रहा था और डीआरआई याचिकाकर्ता/बंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए, इन परिस्थितियों में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज की गई थी कि याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने की आसन्न संभावना थी। इस व्यक्तिपरक संतुष्टि को किसी भी तरह से दूषित नहीं कहा जा सकता है। यह तथ्य याचिकाकर्ता को जमानत देने वाले दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के आदेश की विषय-वस्तु से स्पष्ट है, क्योंकि बंदी को केवल इस आधार पर जमानत पर रिहा किया गया था कि विभाग 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में विफल रहा है। इस प्रकार, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है।

42. बाकी दलीलें, जो इस मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई हैं, उन्हें मैंने इस फैसले के पहले भाग में पहले ही निपटा या है, जबकि हिरासत में लिए गए विनोद कुमार गर्ग के मामले से निपट रहे हैं। इन्हीं कारणों से, इस मामले में उठाए गए समान तर्कों को भी खारिज कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में, मुझे याचिकाकर्ता नरसी दास गर्ग की हिरासत के आदेश में भी कोई अवैधता नहीं मिलती है।
43. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों याचिकाओं को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है।

R.N.R

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी